प्रो॰ सुरेश्वर झा
अध्यक्ष छात्र कल्याण
कामेश्वरसिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा

Prof. Sureshwar Jha
Dean, Students' welfare
K.S.D.S.University,Darbhanga

सेवा में,

प्रधानाचार्य
सभी अंगीभूत एवं राज्य सरकार की सहमति से सम्बद्धता प्राप्त सभी उपशास्त्री एवं शास्त्री स्तर के महाविद्यालय।

विषयः- पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 अन्तर्गत PMSP पोर्टल पर संस्थानों का निबन्धन एवं अध्ययरत छात्र/ छात्रों द्वारा ऑनलाइन किये गये आवेदनों के सत्यापन के सम्बन्ध में।

महाशय,

अपर मुख्य सचिव, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के पत्रांक 09/ पो. मै. छात्र. पोर्टल-07/2020-276 दिनांक 01/10/2021 द्वारा प्राप्त पत्र (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर छात्रहित में यथाशीघ्र अपनी संस्था का निबन्धन कराना सुनिश्चित किया जाए, जिसके Website का पता है- www.pmsonline.bih.nic.in तत्पश्चात् ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि में सत्यापन भी करने का कष्ट किया जाए।

अनुलग्नक- अपर मुख्य सचिव, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग का पत्रांक 09/ पो. मै. छात्र. पोर्टल-07/2020- 276 दिनांक 01/10/2021 की प्रति।

कुलपति के आदेश से
(प्रो. सुरेश्वर झा)
अध्यक्ष, छात्र कल्याण

ज्ञापांक 1549/21 दिनांक 22/10/21

प्रतिलिपिः-

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सूचना वैज्ञानिक, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित। मुख्यालय स्थित स्नातकोत्तर विभागों का PMSP पोर्टल पर निबन्धन कराने हेतु आप अधिकृत हैं। साथ ही साथ ही आपको निर्देश दिया जाता है कि अनुलग्नक के साथ इस पत्र को विश्वविद्यालय के Website अपलोड कर दिया जाए।

22.10.21
अध्यक्ष, छात्र कल्याण

22.10.21

R.O-3
01/10/21

ई–मेल/वेबसाईट

पत्रांक–09/पो0 मै0 छात्र0 पोर्टल–07/2020...276

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

कुल सचिव,
सभी विश्वविद्यालय।
सभी प्राचार्य/प्राचार्या।
स्वायत्त (Autonomous) महाविद्यालय।

पटना दिनांक – 01/10/2021

विषयः पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 अन्तर्गत PMSP पोर्टल पर संस्थानों का निबंधन एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन किये गये आवेदनों के सत्यापन के सम्बन्ध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदंडों के आधार पर राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना के तहत विधिवत् मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान मे अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है। इस हेतु राज्य में अवस्थित संस्थानों का नवनिर्मित पोर्टल पर निबंधन तथा संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं का सत्यापन ससमय किया जाना अनिवार्य है। बिहार राज्य अन्तर्गत वर्ष 2018–19 तक प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन National Scholarship Portal 2.0 (NSP 2.0) के माध्यम से किया जा रहा है।

अंकनीय है कि वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर NIC के सहयोग से विकसित पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका वेबसाईट www.pmsonline.bih.nic.in है।

अतः अनुरोध है कि नवनिर्मित पोर्टल पर सभी संस्थान का निबंधन कराने एवं ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि में सत्यापन करने हेतु अपने क्षेत्राधीन सभी संबंधित को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,
30/9/2021
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–09/पो0 मै0 छात्र0 पोर्टल–07/2020...276.../ पटना, दिनांक 01/10/2021

प्रतिलिपिः सभी राज्य अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/9/2021
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–09/पो0 मै0 छात्र0 पोर्टल–07/2020...276.../ पटना, दिनांक 01/10/2021

प्रतिलिपिः सभी महामहिम राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

30/9/2021
अपर मुख्य सचिव।

F:\Sec.Edu\Letter vinay. 296